'रोड चौड़ी करना समय की मांग, लेकिन व्यक्ति के अधिकार भी नहीं हो प्रभावित'

मामला सिरसी रोड से क्वीन्ज़ रोड तक जा रही सड़क को चौड़ा करने की मांग से है

- **जेडीए की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करने से इनकार करते हुए अपीलार्थियों को कहा है कि वह ग्राम पंचायत के पट्टे व अन्य दस्तावेजों के साथ पन्द्रह दिन में जेडीए के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें**
- **जे.डी.ए.के वकील अमित कुडी द्वारा अदालत को बताया गया कि उक्त सड़क पर 274 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है और केवल 32 दुकानें हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं की गई है**

जयपुर। जेडीए अपीलीय अधिकरण ने सिरसी रोड से क्वीन्ज़ रोड तक जा रही सड़क को चौड़ा करने से जुडे मामले में कहा है कि वाहनों के बढ़ते दबाव, शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए रोड को मास्टर प्लान के अनुसार चौडा करना समय की मांग है। लेकिन, इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के साम्पत्तिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो। अधिकरण ने कहा कि अतिक्रमी किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं है, लेकिन वैध दस्तावेजों से काबिज व्यक्ति को उसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और इसे सुनिश्चित करने का दायित्व जेडीए जैसी संस्था को है। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में जेडीए की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करने से इनकार करते हुए अपीलार्थियों को कहा है कि वह ग्राम पंचायत के पट्टे व अन्य दस्तावेजों के साथ पन्द्रह दिन में जेडीए के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करे। जेडीए यदि अपीलार्थियों के स्वामित्व को माने तो उनके मुआवजे का निर्धारण किया जाए। वहीं यदि उनके अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है तो अपीलार्थियों को सूचित करने के पन्द्रह दिन बाद अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। पीठासीन अधिकारी राजेश ने यह आदेश बच्चू सिंह व अन्य की ओर से पेश अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में कहा गया कि जेडीए ने गत 28 नवंबर को उन्हें जेडीए अधिनियम की धारा 72 के तहत नोटिस देकर दुकानों को रोड पर बनाना बताकर उन्हें हटाने की बात कही है, जबकि साल 1960 में ग्राम पंचायत कोर्ट झोटवाडा ने इस जमीन के पट्टे जारी किए थे और तब से अपीलार्थी यहां काबिज है। यहां स्थित रोड पूर्व में सौ फीट चौडी थी। वहीं मास्टर प्लान में इसे 160 फीट किया गया। अपील में कहा गया कि सिर्फ मास्टर प्लान में प्रस्तावित किए जाने से जमीन का स्वामित्व जेडीए का नहीं हो जाता है। दूसरी ओर जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि संबंधित पट्टा जाली है। वहीं उनका पंजीकरण भी नहीं कराया गया है। मास्टर प्लान में इस रोड को 160 फीट करते समय आमजन से आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2025 को इस मामले से जुडी एक अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश आनंद शर्मा ने सुनवाई के दौरान जे.डी.ए. अपिलेट टिब्यूनल को कहा है कि इस मामले में जुड़ी कई याचिकाओं की जल्दी सुनवाई कर निस्तारण करें, क्योंकि इन मामलों में जेडीए की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगी है और जे.डी.ए. हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सड़क चौड़ी करने की कार्रवाई को पुणत: अंजाम नहीं दे पा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विजय कुमार बोयात द्वारा दायर अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

अदालत ने जे.डी.ए.के वकील अमित कुडी द्वारा अदालत को बताया गया कि उक्त सड़क पर 274 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है और केवल 32 दुकानें हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इन दुकानों के मालिको या कब्जाधारियों ने जे.डी.ए अपिलेट टिब्यूनल से यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश उनके हक में पारित करवाये है।

अमित कुडी ने हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कई मामलों में अतरिम रोक लगने के कारण जे.डी.ए. कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस पर अदालत ने आदेश दिए है कि अपिलेट टिब्यूनल इन मामलो पर संभवत: अगली सुनवाई में ही निपटारा करें।

धोखाधडी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। विधायकपुरी थाना पुलिस,साइबर सेल दक्षिण और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धोखाधडी के मामले में फरार दस हजार रुपये के इनामी बदमाश को जैसलमेर से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी के करीब दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। विधायकपुरी थाना पुलिस, साइबर सैल दक्षिण और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धोखाधडी के मामले में फरार दस हजार रुपये के इनामी बदमाश महेंद्र सिंह निवासी जैसलमेर को गिरफ्तार किया है अनिल कुमार ने अपनी आई - 20 गाड़ी बेचने के लिए ओएलएक्स पर एड डाला था।

'योग केवल अभ्यास नहीं, शिक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा है'

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की पूर्व तैयारियों को लेकर शुक्रवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता करते हुए शासन सचिव, शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है।

बैठक में योग दिवस के सफल आयोजन के साथ-साथ हरियालों राजस्थान अभियान 2.0 सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सचिव शिक्षा ने सभी संबंधित अधिकारियों को योग दिवस की तैयारियों को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने राजकीय के साथ-साथ निजी विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी पर भी बल देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक शैक्षिणक संस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी निजी शैक्षिणक संस्थाओं से भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की अपील की।

सचिव ने निर्देश दिए कि योग दिवस कार्यक्रम में सभी राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। इसके लिए शिक्षकों को निकटतम राजकीय विद्यालय से कार्यक्रम में भाग लेने की सुविधा दी गई है।

उन्होंने सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों को 18 जून तक योग संगम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने निजी विद्यालयों से भी अपील की कि वे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में उत्साहपूर्वक सहभागी बनें और विद्यार्थियों को योग के लाभों से अवगत कराएँ।

पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत नहीं, ईडी कोर्ट ने खारिज की अर्जी

- **जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुडे ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया**

जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुडे ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जोशी ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

जमानत अर्जी में महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कहा कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है। एसीबी की एफआईआर और मामले में पेश चालान में उसका नाम नहीं है। ईडी ने मार्च, 2024 में उसे समन दिया था। जिसका जवाब ईडी को भेजा गया था। इसके बाद ईडी ने करीब एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं की और पिछले दिनों उसे अचानक बुलाकर गिरफ्तार कर लिया।

इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में जिन 50 लाख रुपए का हवाला दिया है, वह जुलाई, 2023 में उसके बेटे की कंपनी ने लोन के रूप में लिए थे और उसे लौटाया जा चुका है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की पहले ही जमानत हो चुकी है। उससे कोई रिकवरी नहीं हुई है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा ने कहा कि मामले से जुडे सह आरोपियों के बयान में आया है कि जोशी तक रिश्वत राशि पहुंचाई जाती थी। वहीं आरोपियों की फर्म से जोशी के बेटे की फर्म को भी लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। अभियोजन पक्ष के पास जोशी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। ऐसे में यदि उन्हें जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।जोशी ने अदालत को बताई थी वेदना- गत सुनवाई को सुनवाई के दौरान महेश जोशी न्यायिक अभिरक्षा से अदालत में हाजिर हुए थे। जोशी ने अदालत को बताया था कि जेल प्रशासन उनकी गंभीर बीमारियों को सामान्य रूप में ले रहा है। वहीं जोशी की ओर से एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान संक्रमित होने की बात कही थी। इस पर पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने उनकी निजता को देखते हुए वहां मौजूद महिला अधिवक्ता को बाहर भेजते हुए कोर्ट स्टाफ की उपस्थिति में जोशी को जानकारी देने को कहा। इस दौरान जोशी की ओर से अदालत को अपनी बीमारी की जानकारी दी।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी के निधन होने के चलते कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी थी।

भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने विमान हादसे पर व्यक्त किया

- **राजस्थान के 12 यात्रियों सहित 265 निर्दोष लोगों की असामयिक मृत्यु पर भाजपा परिवार की ओर से गहरी संवेदनाएं : जितेंद्र गोठवाल**

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं समस्त प्रदेश पदाधिकारियों ने अहमदाबाद के विमान हादसे में 265 निर्दोष लोगों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राठौड़ ने कहा कि हादसे में 241 यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल है। विमान हादसे में राजस्थान की चार महिलाओं के साथ 3 बच्चों सहित 12 यात्रियों की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है और यथा संभव सरकार के साथ पार्टी स्तर पर सहायता राशि शोकाकुल परिजनों को मुहैया करवाई जाएगी। राठौड़ ने इस दुखद हादसे में घायल हुए सभी व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है, जो एक प्रखर राजनीतिज्ञ थे। रूपाणी का राजस्थान से विशेष लगाव था, उनके निधन से भाजपा राजस्थान को एक गहरा आघात लगा है। रूपाणी ने प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया और निष्पक्षता से कार्य संपादित किया था।

राजस्थान संगठन चुनावों में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मार्गदर्शन प्रदान किया था। उनकी मृत्यु से भाजपा परिवार और राजनीति जगत में शोक छा गया। उनके योगदान और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को हमेशा याद किया जाएगा। गोठवाल ने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा परिवार इस कठिन घड़ी में एकजुट है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दु:ख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

लाखों रुपए के जेवरात व नगदी लेकर भागा नौकर गिरफ्तार

जयपुर। श्याम नगर थाना इलाके में एक मकान मालिक ने घर में चोरी कर फरार हुए नौकर को ढाई साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नौकर घर से लाखों रुपए के जेवरात व नगदी लेकर भागा था। ढाई साल तक पुलिस चोर के बारे में कोई सुराग नहीं जुटा पाई। एक दिन अचानक पीड़ित दंपती को आरोपी घरेलू नौकर बाजार में घूमते मिल गया। दंपती ने नौकर को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार निर्माण नगर स्थित गौतम मार्ग के रहने वाले 60 वर्षीय जुगलकिशोर शर्मा ने 27 अक्टूबर 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि वह और उसके परिवार वाले भाईदूज के पर्व पर अपनी बहन के घर गए हुए थे। घर पर नौकर था। जिसे कुछ दिनों पहले ही काम पर रखा था। शाम को जब लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। कमरों में अलमारियों के गेट भी टूटे हुए थे और चोरों ने वहां से लाखों रुपए के जेवरात व नगदी चोरी कर फरार हो गए। पीडित जुगल किशोर ने नौकर विष्णु पर चोरी का संदेह जताया। उनकी पत्नी इंदु शर्मा ने बताया कि जब विष्णु काम मांगने आया था। तब हमने वेरिफिकेशन नहीं कराया था। विष्णु ने पांच सात दिन तक घर में काम किया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

कांस्टेबल के सवा लाख रुपए पार किए

जयपुर। कालवाड़ थाना इलाके में सब्जी खरीदने गए कांस्टेबल का किसी ने मोबाइल पार कर लिया और फिर उसके खाते से ऑनलाइन 1.21 लाख रुपए पार लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार राधा बिहार पीथावास निवासी कांस्टेबल गोपाल लाल ने मामला दर्ज करवाया कि वह रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। वह 4 जून की शाम सब्जी लेने बाजार गया था। वहां पर किसी ने उसका मोबाइल पार कर लिया। इसके बाद उसके मोबाइल से किसी ने ऑनलाइन खाते से किसी दूसरे खाते में रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। उसके खाते से कई बार में 1.21 लाख निकाले गए है। पीड़ित ने मोबाइल चोरी का मामला दर्ज करवाने के बाद दूसरी सिम चालू करवाई तो उसे खाते से रुपए निकाले जाने का पता चला। इस पर पीडित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संदेह का लाभ पर बरी होने वाला भी निर्दोष, दो माह में नियुक्ति के आदेश

- **अदालत ने बैंक के 24 जुलाई, 2020 के आदेश को रद्द करते हुए बैंक प्रशासन को आदेश दिए हैं कि यह दो माह में याचिकाकर्ता को नियुक्ति दे**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेह का लाभ लेकर बरी होने वाला व्यक्ति भी निर्दोष होता हैं। उसे इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसे सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने बैंक के 24 जुलाई, 2020 के आदेश को रद्द करते हुए बैंक प्रशासन को आदेश दिए हैं कि यह दो माह में याचिकाकर्ता को नियुक्ति दे। जस्टिस आनंद शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश कृष्ण गोपाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता वीरेन्द्र लोढा ने कहा कि याचिकाकर्ता का चयन यूको बैंक में 18 फरवरी, 2013 की प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर हुआ था। उसने तय प्रक्रिया के तहत 2 अप्रैल, 2013 को बैंक के क्षेत्रीय प्रशिक्षण सेंटर में उपस्थिति दर्ज कराई। जहां उसने घोषणा पत्र में अपने दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी दी। जिसके बाद बैंक ने 4 अप्रैल को उसे मुकदमे लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया। जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए याचिकाकर्ता के लिए पद सुरक्षित रखने के लिए कहा था। वहीं बाद में कोर्ट ने दोनों मामलों में याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने एक जुलाई, 2020 को याचिका का निस्तारण करते हुए बैंक को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर नए सिरे से विचार करे। इसके बाद बैंक ने 24 जुलाई, 2020 को उसे यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी कि उसे सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया है। इस पर याचिकाकर्ता ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बैंक का आदेश मनमाना है।

याचिकाकर्ता ने कभी भी अपने तथ्यों को नहीं छिपाया है। आवेदन के समय ही उसने दोनों आपराधिक मुकदमों का खुलासा कर दिया था। उसे सम्मानपूर्वक बरी करने के आधार पर उसके आजीविका के अवसर को समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर बैंक की और से कहा गया कि बैंक सार्वजनिक राष्ट्रीयकृत बैंक है।

इसके साथ जनता का विश्वास जुडा है और यहां उच्च स्तर की ईमानदारी की जरूरत होती है। जबकि याचिकाकर्ता को अदालत ने सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने संदेह के आधार पर बरी होने को निर्दोष की श्रेणी में मानते हुए उसे दो माह में नियुक्ति देने को कहा है।

सहायक कृषि अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलवर प्रथम टीम ने शुक्रवार की रात को कार्रवाई करते हुए कार्यालय कृषि विभाग गोविंदगढ के सहायक कृषि अधिकारी अली हसन को तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी अलवर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी उसकी पत्नी के नाम से ग्राम बरौली में खाद बीज व दवाइयों की दुकान लाइसेंस शुदा थी। दुकान का कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण कर लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन किये जाने के लिये सहायक कृषि पर्यवेक्षक अली हसन उक्त लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन करने के लिए 1 हजार रुपये की रिश्वत लेकर बीज के लाइसेंस में स्थान परिवर्तन कर दिया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम से 5 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। परिवादी से पूर्व में 1 हजार रुपये प्राप्त करने तथा 3 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग करना स्पष्ट पाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएलओ महेन्द्र कुमार ने अली हसन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

महिला प्रशासक को हटाने के आदेश पर रोक, मांगा जवाब

- **8 मई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत मियाडा के प्रशासक पद से हटा दिया था**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत राज विभाग के गत 8 मई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत मियाडा के प्रशासक पद से हटा दिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायत सचिव व अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने यह आदेश लवली यादव की याचिका पर दिया।

मामले से जुडे अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता बारां जिले की मियाडा ग्राम पंचायत में प्रशासक के पद पर कार्यरत थी। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने उसे सुनवाई का मौका दिए बिना ही गत 8 मई को आदेश जारी कर प्रशासक पद से हटा दिया। इसके पूर्व उसे न तो जांच की कॉपी दी गई और ना ही सुनवाई का अवसर मिला। विभाग की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है।

इसलिए याचिकाकर्ता को प्रशासक पद से हटाए जाने वाले आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

ए.जी.टी.एफ. की बड़ी कार्रवाई : दो करोड़ रुपये के 424 किलो गांजे के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ)की टीम ने चाकसू थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 424 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार करवाया।

जयपुर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ)की टीम ने चाकसू थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 424 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार करवाया। वहीं इससे कुछ समय पहले एजीटीएफ टीम ने शिवदासपुरा टोल पर नाकाबंदी कर ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही एक स्कॉर्पियो समेत गैंग के सरगना सहित तीन जनों को पकड़ लिया था। जब्त किये गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड रुपए आंकी गई है। फिलहाल तस्करों से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं एजीटीएफ) दिनेश एम एन ने बताया कि दवाइयां की आड़ में छत्तीसगढ़ से तस्करी कर जयपुर सप्लाई करने वाले मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपित सुमेर मीणा (48), नानगराम बलाई (55),नरेंद्र सिंह जाट (45) और दीपक गुर्जर (38) निवासी खोरा बिसल,जयपुर के साथ-साथ हिमांशू माटा (29) निवासी करनाल हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से गांजे के साथ-साथ दो वाहन एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो भी जब्त किए गए हैं।

एडीजी दिनेश एम एन ने बताया कि एजीटीएफ टीम को बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से जयपुर में गांजा तस्करी किए जाने की खुफिया सूचना मिली थी। इस सूचना को तकनीकी संसाधनों और गहन आसूचना संकलन के माध्यम से विकसित किया गया। जिसके बाद इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। इस कार्रवाई ने राज्य में नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के एजीटीएफ के इरादों को और मजबूत किया है।

छत्तीसगढ़ से मिनी ट्रक में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी कर लाये जाने की पुख्ता सूचना पर एजीटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिल कर शिवदासपुरा टोल पर नाकाबंदी कर तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवाया गया। जिसमे तीन व्यक्ति सुमेर मीणा, नरेंद्र और नानग राम सवार थे। जिन्होंने पीछे आ रहे एक मिनी ट्रक को एस्कॉर्ट करना बताया।

ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजा की बड़ी खेप थी। दोनों गाड़ियां जीपीएस से कनेक्ट थी। इस वजह से स्कॉर्पियो पकड़े जाने का अंदेशा होते ही ट्रक चालक दीपक और हिमांशु चाकसू इलाके में ट्रक को रोक खेतों में होकर भागने लगे। इन दोनों को भी एजीटीएफ की टीम ने स्थानीय थाना पुलिस को साथ लेकर घेर कर पकड़ लिया।

टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें दवाइयां के बॉक्स रखे हुए थे। जिसकी आड़ में आरोपी तस्कर नशे की तस्करी कर रहे थे। इस गैंग का सरगना सुमेर मीणा है। जो पहले भी दो बार छत्तीसगढ़ से मादक पदार्थ तस्करी कर जयपुर लेकर आया था। तीसरी बार एजीटीएफ की सतर्कता से पकड़ा गया। गिरोह का सरगना सुमेर मीणा खुद आगे रहकर स्कॉर्पियो से ट्रक को छत्तीसगढ़ से ही एस्कॉर्ट कर रहा था। टीम का सराहनीय योगदान इस पूरी कार्रवाई में एएसआई शंकर दयाल शर्मा और हैड कांस्टेबल कमल सिंह और शशिकांत की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने सूचना संकलन और ऑपरेशन को अंजाम देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एएसआई शैलेंद्र शर्मा, हैड कांस्टेबल सुरेश कुमार, नरेंद्र सिंह, मदन लाल, अरुण कुमार, कांस्टेबल नरेश कुमार, रतिराम, बृजेश शर्मा, संदीप, सुरेश, हरीश, राजवीर और चालक सुरेश कुमार का भी सराहनीय सहयोग रहा। इस कार्रवाई में एसएचओ चाकसू मनोहर लाल मय टीम एवं थाना शिवदासपुरा से उप निरीक्षक लेखराज व कांस्टेबल मेघराज मय टीम शामिल थे।

विधानसभा में सामूहिक योग16 जून को

- **योग दिवस को 100 दिन पूर्व से मनाये जाने के आव्हान पर विधान सभा में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा**

जयपुर। राजस्थान विधान सभा में सोमवार को प्रात: 6 बजे सामूहिक योग का आयोजन होगा। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सानिध्य में विधायकगण, विधान सभा के अधिकारी और कर्मचारी योग आसन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के योग दिवस को 100 दिन पूर्व से मनाये जाने के आव्हान पर विधान सभा में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है ताकि जन सामान्य में जागृति पैदा हो सके। देवनानी ने कहा कि योग सनातन की महान विरासत है। इसे जन-जन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिये लोगों को योग के प्रति जागरूक करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि इण्डियन योगा एसोसिएशन और क्रीडा भारती के सहयोग से राजस्थान विधान सभा के उत्तरी द्वार के समीप सामूहिक योग का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस योग कार्यक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के योग प्रोटोकॉल के अनुरूप आसन, प्राणायाम और ध्यान कराया जायेगा। देवनानी ने कहा कि योग, दुनिया के लिए भारत की देन है। 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। वर्तमान में 193 सदस्य देशों में योग दिवस मनाया जाता है।

देवनानी ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए भारत द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा था कि योग हमारी प्राचीन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है।देवनानी ने बताया कि इस वर्ष एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर ग्यारहवां अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग भारत के लोगों द्वारा शुरू किया जाने वाला शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसे अब दुनियाभर में मनाया जा रहा है। योग केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि यह स्वयं, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने का एक तरीका है। देवनानी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऐसा उत्सव है जो प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को महत्व देता है। इसका लक्ष्य योग को एक व्यापक आन्दोलन में बदलना है जो वैश्विक स्वास्थ्य और शान्ति को बढावा देता है। उन्होंने कहा कि सभी मिल-जुलकर स्वस्थ भारत की रचना करें। शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेंगे तब ही राष्ट्र की उन्नित होगी। राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए योग, यज्ञ और संतुलित आहार को आचरण में लाना होगा। भारत विश्व गुरु है। भारत की परम्पराएं समृद्ध है। सांस्कृतिक, आध्याकत्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यह राष्ट्र समृद्ध है। निरोगी राष्ट्र बनाने के लिए योग को जीवन का अंग बनाना होगा। योग स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस मशीनी युग में बदलती जीवन शैली के लिए योग की आवश्यकता बढती जा रही है।

गिरफ्तार आरोपीयों से हथियारों की बरामदगी

जयपुर। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई को दीपक मीना निवासी हिंडौन सिटी जिला करौली हाल इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान पर लेनदेन को लेकर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित 23 वर्षीय अंकित मीना उर्फ सुक्का निवासी दौसा और 20 वर्षीय अर्जुन मीणा निवासी करौली से हथियारों की बरामदगी की गई है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई को दीपक मीना निवासी हिंडौन सिटी जिला करौली हाल इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान पर लेनदेन को लेकर फायरिंग करने के मामले में 23 वर्षीय अंकित मीना उर्फ सुक्का निवासी दौसा और 20 वर्षीय अर्जुन मीणा निवासी करौली से अवैध दो देशी कट्टे बरामद किए गए है। इससे पूर्व में पुलिस ने अभिषेक मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल रामनगरिया जिला जयपुर और रोहिताश मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपितों से अब तक तीन अवैध देशी कट्टे बरामद किए जा चुके है।